



उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.

Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.

परिपत्र सं०- सी-०९ /विधि/भूमि विक्रय/2022-23

दिनांक:- 31.05.2022

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के पत्रांक-125656-72/वसूली/2004-05 दिनांक-24.09.2004 द्वारा समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को एवं परिपत्र सं० सी-62/वसूली/भूमि विक्रय/2017-18 दिनांक- 03.11.2017 द्वारा समस्त शाखा प्रबन्धकों को यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि बैंक के ऐसे बकायेदारों, जिन्होंने ऋण लेते समय भूमि बन्धक की थी, को विक्रय कर दिया है के प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष दाखिल खारिज निरस्त कराने विषयक विधिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायें।

उपर्युक्त प्रकृति के मामलों में बैंक के परिपत्र सं० सी-65/विधि-2/05-06 दिनांक 11.07.2005 द्वारा अधिवक्ता पारिश्रमिक के मद में रू० 350/- व वास्तविक विविध व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये बैंक अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के मद में रू० 350/- के स्थान पर रू० 750/- प्रति वाद तथा वास्तविक विविध व्यय का भुगतान करने की स्वीकृत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वास्तविक विविध व्यय की धनराशि को अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया हो। पारिश्रमिक धनराशि का 1/2 भाग वाद दायर करते समय एवं अवशेष 1/2 भाग का भुगतान वाद समाप्त होने पर किया जायेगा।

(ए० के० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०।
- (2) समस्त अधिकारीगण उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ।
- (3) महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- (4) प्रबन्धक(आई० टी० सेल), उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराये जाने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक



उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.

Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.

परिपत्र सं०- सी-०९ /विधि/भूमि विक्रय/2022-23

दिनांक:- 31.05.2022

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के पत्रांक-125656-72/वसूली/2004-05 दिनांक-24.09.2004 द्वारा समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को एवं परिपत्र सं० सी-62/वसूली/भूमि विक्रय/2017-18 दिनांक- 03.11.2017 द्वारा समस्त शाखा प्रबन्धकों को यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि बैंक के ऐसे बकायेदारों, जिन्होंने ऋण लेते समय भूमि बन्धक की थी, को विक्रय कर दिया है के प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष दाखिल खारिज निरस्त कराने विषयक विधिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायें।

उपर्युक्त प्रकृति के मामलों में बैंक के परिपत्र सं० सी-65/विधि-2/05-06 दिनांक 11.07.2005 द्वारा अधिवक्ता पारिश्रमिक के मद में रू० 350/- व वास्तविक विविध व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये बैंक अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के मद में रू० 350/- के स्थान पर रू० 750/- प्रति वाद तथा वास्तविक विविध व्यय का भुगतान करने की स्वीकृत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वास्तविक विविध व्यय की धनराशि को अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया हो। पारिश्रमिक धनराशि का 1/2 भाग वाद दायर करते समय एवं अवशेष 1/2 भाग का भुगतान वाद समाप्त होने पर किया जायेगा।

(ए० के० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,।
- (2) समस्त अधिकारीगण उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ।
- (3) महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- (4) प्रबन्धक(आई० टी० सेल), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराये जाने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक